

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.02.17 को पेश हो।

रीकर

२१ १/१७

पत्रा पेश हुई वकील वादी उपाय तलवना पेश होने पर प्रतिवादीगण नि तलवी नि जाकर पत्रा दि २५-३-१७ को पेश हो।

24.3.17

वकील वादी उपाय तलवना पेश करने हेतु प्रीतिग अवसर दिया जाया है। पत्रा वास्ते तलवी दि 13.4.17 को पेश हो।

13.4.17

वकील वादी उपाय प्रतिवादी नं 2 व 3 की भौर से एड-संतोष कुमार जायने वकालतनामा पेश किया। प्रति नं 1 व 4 बावजूद खुलना उपस्थित नहीं। अतः उसके विरुद्ध स्क्रिफ्ट कार्रवाई की जायी है। पत्रा तलवी प्रीति नं 5 की जाकर दि 11.5.17 को पेश हो।

11.5.17

वादी व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रफर करने के लिए सहमत है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में रफर किया जाता है। प्रकरण को लोक अदालत में उपस्थित रहे।

30.5.17

पत्रा लोक अदालत में पेश हुई। प्रकरण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार उनके द्वारा बंटवारा करवाया जा चुका है इसलिए दावा नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा विद्रोह के आधार पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली में सलसुमा होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला इन्फिलेखपार हो।

अध्यक्ष लोक अदालत वजीरपुर

सदस्य लोक अदालत वजीरपुर

शरद नरस लोक अदालत वजीरपुर

विकल्प दीपक २० प्र जागीर

